समझ में आती है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि प्रधान मंत्री या और किसी अति विशिष्ट व्यक्ति के दौरे के लिए हमारी जो विदेशी यात्रा सेवा है एयर इंडिया, उसकी उड़ानें 20—25 दिन के लिए हमें कैंसिल करनी पड़ें। यह स्थिति क्यों आती है? मैं नहीं समझता कि किसी और देश में इस प्रकार की व्यवस्था होगी जिसमें कि देश का कोई विशिष्ट व्यक्ति किसी देश के दौरे पर जा रहा हो, इसलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर यहां आ रहा हो तो ब्रिटिश एयरवेज़ की उड़ानें कैंसिल हों क्योंकि वह इधर आना चाहते हैं या बिल क्लिंटन की हवाई यात्रा के लिए वहां की एयरलाइंस बंद हों। लेकिन जब भी हमारे यहां से अति विशिष्ट व्यक्ति बाहर जाते हैं तो कोई न कोई हवाई यात्रा स्थगित करनी पड़ती है। मैंने जैसा कहा कि मुझे आपत्ति नहीं है कि वह विशेष हवाई जहाज से जाएं, लेकिन उसके लिए एयर इंडिया का हवाई जहाज पकड़ा गया है, ऐसे वह चलता नहीं है, उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, इसलिए उस को 8 दिन ग्राउंड करके रखेंगे, फिर 8 दिन बाहर जाएगा और फिर उसे मूल रूप में आने के लिए 8 दिन यानी कुल तीन हफ्ते उसे कैंसिल किया जाएगा। जो लंदन जाने वाला था वह नहीं गया तो पेसैंजर्स जो लंदन में हैं वह लोग पूछेंगे जो एयर इंडिया की फ्लाइट से जाना चाहते हैं, उनको कहा जाएगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी चीन गए हैं? मैं इस समस्या की दृष्टि से नागरिक उड्डयन मंत्री जी से नहीं कह रहा हूं, मुझको यह लगता है कि आप प्रधान मंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को और जो अति विशिष्ट व्यक्ति हैं, इनके लिए अलग से वायुयान रखें। उसमें जितनी भी सुविधा, अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए होती है, उनके अनुसार वह बनाया जाए, उसमें सेक्यूरिटी कांशियसनेस और ज्यादा हो। यह हवाई जहाज अगर होगा तो बार-बार एयर इंडिया से या और किसी से हवाई जहाज नहीं लेना पड़ेगा। उसमें एयर इंडिया की प्रतिमा भी धूमिल होती है और प्रधान मंत्री की भी प्रतिमा धूमिल होती है। और देश पर भी प्रश्नचिह्न लगता है। लगता है कि इनके पास हवाई जहाज इतने कम हैं कि प्रधान मंत्री को देंगे तो पेसैंजर को नहीं देंगे और पेसैंजर को देंगे तो प्रधान मंत्री दौरा नहीं कर सकते। मुझे लगता है देश जब इतने हजारों-हजार करोड़ का खर्चा करता है तो मेरा नागरिक उड्डयन मंत्री जी से यह कहना है कि प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति की किसी वर्षगांठ पर एक एयर इंडिया का हवाई जहाज प्रेज़ेन्ट कर दें और वह हवाई जहाज लेकर प्रधान मंत्री दौरा करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस प्रकार से इसकी प्रतिमा बन रही है वह गलत है। अगर नागरिक उड्डयन मंत्री कुछ कर सकते हैं तो करें। यह मेरी प्रार्थना है।

उपसभापति : आप तो कमेटी के चेयरमैन हैं। आप कमेटी की तरफ से मशविरा दे दीजिए।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : यह सारे सदन की तरफ से मशविरा आ रहा है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : मैं प्रमोद जी से बिल्कुल बराबर सहमत हूं। एक मिनट अगर रोस्टर में लेट भी पहुंचा तो इसका एक कारण टैलीपैथी है, मैं इसी बारे में मीटिंग ले रहा था कि जब भी प्रधान मंत्री जायें या राष्ट्रपति जायें या उपराष्ट्रपति जायें तो क्या करें? इन्होंने मिसाल दी क्लिंटन की। उनके पास दो हजार जहाज हैं। अगर हमारे पास एक चौथाई भी होते तो शायद यह जरूरत न पड़ती बल्कि सौवां हिस्सा भी नहीं है। लेकिन कल भी और आज भी इसी बारे में मीटिंग ले रहा था। टूरिस्ट की वजह से भी हमें दिक्कत हो जाती है। जहाज डिसलोकेट करने पड़ते हैं। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में हम सोचते हैं इस बारे में परमानेन्ट इलाज निकालें ताकि पैसेंजर को नुकसान न हो और फ्लाइट से रेवेन्यू भी लास न हो।

उपसभापति : श्री अहमद मोहम्मद भाई पटेल। इनकी मेडन स्पीच है।

SPECIAL MENTIONS

Sardar Sarovar Projects

श्री अहमद मोहम्मद भाई पटेल (गुजरात) : उपसभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि गुजरात का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम मसला सरदार सरोवर योजना के बारे में विशेष उल्लेख करने का आपने मुझे मौका दिया। जैसा सब जानते हैं कि सरदार सरोवर योजना न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का जल्दी से जल्दी परिपूर्ण होना न सिर्फ गुजरात की जनता के लिए बल्कि समूचे-समूचे राष्ट्र के हित में होगा, यह कहूंगा तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं जब राष्ट्र हित की बात कर रहा हूं तो इस योजना के बारे में मैं कुछ बात भी करना चाहूंगा। जैसा कि हम जानते हैं हमारा अन्न उत्पादन, अनाज उत्पादन इस साल 180 मिलियन टन रहा। यह बहुत प्रशंसनीय बात है। लेकिन जिस रफ्तार से हमारी आबादी की बढ़ोतरी हो रही है मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमें ज्यादा अनाज की ज़रूरत पड़ेगी। जो कृषि के लिए आज जमीन उपलब्ध है हमारे पास वह 141 मिलियन हैक्टेयर है उसमें अभी तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि जैसा कहा गया कम हुई है। दूसरी बात मैं यह भी ज़िक्र करना चाहूंगा कि जैसा सब जानते हैं हमारे देश में एक तिहाई एरिया ऐसा है जहां पर हमें हमेशा अकाल का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ 12 प्रतिशत एरिया ऐसा है जो हमेशा बाढ़ग्रस्त रहता है। ऐसी हालत में 1997 में हमें तकरीबन 210 मिलियन टन अनाज की जरूरत पड़ेगी और 2007 तक हमें तकरीबन 285 मिलियन टन अनाज की जरूरत पड़ेगी। जब यह योजना परिपूर्ण होगी तो इससे 18 लाख हैक्टयर जमीन की सिंचाई की सुविधा होगी। गुजरात में राजस्थान और दूसरे प्रदेश अलग हैं। अगर हम यह मानकर चलें कि सिर्फ 70 प्रतिशत कृषि जमीन की सिंचाई होगी तो मैं समझता हूं इससे हमारे देश में 36 लाख टन अनाज का ज़्यादा उत्पादन होगा और यह अनाज मेरे ख्याल से एक करोड़ 80 लाख लोगों का पेट भरेगा। इतने लोगों को फायदा होगा। इसलिए मैं कहता हूं यह जो योजना है यह राष्ट्र के हित में है और जल्दी से जल्दी यह परिपूर्ण हो जाए यह बहुत ही आवश्यक है।

दूसरी इसकी उपलब्धी यह है कि जो बिजली शक्ति इससे पैदा होगी तकरीबन 1450 मेगावाट होगी। अगर हम गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट लगायें या थरमल पावर प्रोजेक्ट लगायें तो इससे मेरे ख्याल से 14 हजार से 17 हजार करोड़ का ज्यादा खर्चा होता है जो हम बचा पायेंगे।

1.00 P. M.

तो यह भी राष्ट्र के हित में होगा। जब ऐसी राष्ट्रीय हित की योजना है तब उसमें किसी प्रकार की बाधा या रुकावट या अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है तो यह मेरे ख्याल में निन्दनीय है। गुजरात की जनता इस प्रकार की किसी कोशिश को हरगिज हरगिज नहीं सहन करेगी, हम नहीं टॉलरेट करेंगे। आखिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म-भूमि गुजरात है और अगर इसमें किसी प्रकार की रुकावट या अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाएगी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है, सत्याग्रह का, उसी रास्ते से गुजरात की जनता चलेगी, मैं यह आज कहना चाहूंगा। हमारे जल संसाधन मंत्री ने इसी महीने की 3 तारीख को और 5 तारीख को दो नोटिफिकेशन इशू किये हैं। उनसे थोड़ा-सा गुजरात की जनता को शक सा पैदा हुआ है, भ्रम सा पैदा हुआ है। 3 तारीख को इन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें कहा है —

Ministry of Water Resources issued a notification of 3rd August setting up a group of eminent experts to continue discussion as initiated on 29th and 30th June by the Union Water Resources Minister with the Narmada Bachao Andolan people regarding some of the related issues of the Sardar Sarovar Project. The group was asked to give report after discussing with the various inter-State groups in a time limit to be decided by the group itself.

यह नोटिफिकेशन 3 तारीख को इशू हुआ और उसके दो दिन बाद कहते हैं —

However, two days later, on 5th August, the Ministry superseded that Notification and issued a fresh Notification asking the group with a same proposition to continue review discussion regarding all related issues on Sardar Sarovar Yojna. Also the group was asked to submit their report within three months' time limit or earlier and also that Notification mentioned that the group report will be made public within a month's time—after being received by the Ministry.

This Notification obviously created a lot of anxiety and apprehension in the mind of the Gujarat people, since it is giving an impression as if the Ministry is considering even reviewing this project. This is not at all sustainable in the light of the tribunal's award, which clearly stipulates that basic parameters, like water allocation, height of the dam, canal base level cannot be reviewed till 45 years after the publication of the tribunal award in the Government Gazette i.e. till 2025.

2025 तक इसको रिव्यू नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी जिस तरह से दो दिन बाद ग्रुप बनाया गया है उससे मेरे ख्याल से गुजरात की जो जनता है उसमें काफी शक पैदा हुआ है। जहां तक पर्यावरण का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारी सरकार को, जल संसाधन मंत्री जी को पर्यावरण की चिन्ता है उससे कम चिन्ता गुजरात की जनता को नहीं है। गुजरात की जनता पर्यावरण के बारे में हमेशा चिन्तित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि गुजरात की सरकार ने जिस तरह से पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए रिहेबिलिटेशन की स्कीम बनाई है, शायद ही अतीत में किसी ने बनाई होगी और न ही भविष्य में कोई बनाएगा। जो रिहेबिलिटेशन की स्कीम है, पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए, खासतौर से जो विस्थापित लोग हैं, जिनके घरबार पानी में डूब रहे हैं, जिनकी जमीन जा रही है, उनके लिए जो स्कीम बनाई है, उसको मैं हाउस के सामने रखना चाहूंगा।

That is a full compensation for existing house. Dismantled component transported free of cost at new habitat.

Each family will get two hectares of irrigable land whether it is agriculturist or not. Every major son of 18 years plus will be treated as a separate family.

A subsidy of Rs. 5,000 for purchase of productive assets.

Subsistence allowance of Rs. 15 per day for 25 days in a month for the first year of resettlement.

Resettlement grant of Rs. 750 plus escalation in consumer price index at the rate of 8 per cent from January, 1980.

Besides, grant-in-aid is also paid between Rs. 500 and Rs. 2000, which is inversely related to amount of land aquired, plus escalation at the rate of 8 per cent per annum from January, 1980.

Insurance for Life Rs. 6,000, house Rs. 5,000, household kit Rs. 1,000.

Free residential plot of 60 ft. × 90 ft.

Civic and other amenities such as approach roads, primary school, health centre, panchayat building, seeds, store, childrens' playground, village tank, drinking water well, electricity, vocational training centre, employment priority, etc.

The cost of above amenities per PAP comes to about Rs. 2 to 2.25 lakhs."

हमारे आदिवासी सदस्य माननीय रामसिंहभाई राठवा जी ने इस मामले को हाउस में रेज किया । वह उस एरिया से आते हैं । वहां पर किसी तरह का डिससटिस्फेक्शन नहीं है । लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि बार-बार यह प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है । जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमारी जो पानी की संग्रह शक्ति है, वह इतने सालों के बाद भी कम है । आज वे लोग पर्यावरण का सवाल उठा रहे हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, जो आज पर्यावरण की बात कर रही हैं, उनके यहां सालों पहले डैम बन चुके हैं । उनके यहां पानी की जो संग्रह-शक्ति है वह हमारे से कई गुना ज़्यादा है और वही लोग, वही ताकतें पर्यावरण के नाम पर हमारे प्रोजेक्ट्स को सबोटाज करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि निन्दनीय है । अगर हम इस साजिस के शिकार होंगे तो मेरे ख्याल से यह राष्ट्र हित में नहीं होगा । जैसे मैंने कहा यह स्वाभाविक है कि पर्यावरण के बारे में चिंता की जाय और हमारी भी चिंता है । यह स्वाभाविक है । अगर मेधा पाटकर की जान बचानी है तो उनकी जान बचानी चाहिये । इसमें हम भी सहमत हैं । इसमें गुजरात की जनता भी सहमत है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सहमत है । किसी भी महिला की जान बचानी चाहिये । लेकिन इस चिंता के साथ मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में हजारों-लाखों महिलायें ऐसी हैं — वहां हर तीसरे साल अकाल पड़ता है तो जो वहां की महिलायें हैं उनके बच्चे, दूध की बात तो साइड पर रखिये लेकिन कभी-कभी अकाल के दौरान उनको पानी भी नसीब नहीं होता । ऐसी भी महिलायें हैं जिनको दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर तक पानी के लिये जाना पड़ता है । जब अकाल पड़ता है तो हमारे जो वृद्ध हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे जो मजदूर हैं, जिनके पास सौ-सौ एकड़ जमीन है, उनमें से भी वहां ऐसे किसान हैं जब अकाल पड़ता है तो हमारे जो राहत कार्य होते हैं, रिलीफ वर्क है उसके अंदर सर पर टोकरा उठाकर, मिट्टी उठाकर काम पर जाते हैं । तो इस बात का भी मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिये, इसकी भी चिंता करनी चाहिये । यह जो योजना है यह गुजरात के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, समूचे राष्ट्र के लिये बहुत महत्वपूर्ण है । तो मैं केंद्रीय सरकार के जल संसाधन मंत्री जी को आपके माध्यम से तीन चीजों के लिये अनुरोध करना चाहूंगा । एक तो 5 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर पुनः विचार किया जाय । दूसरा, जो फारेस्ट की 15 सौ हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन के लिये डिमांड की है, उसको मान लिया जाय, उसको रिलीज किया जाय और तीसरा है कि ओवरसीज एकानामिक कोआपरेशन फंड की तरफ से दो सौ मेगावाट केपेसिटी के 6 पम्प टरबाइन और जनरेटर खरीदने के लिये जो 180 मिलियन यू० एस० डालर का लोन मिलने वाला था उसमें कुछ बाधा आने के कारण मैं वित्त मंत्री जी से इस सदन के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि इतनी ही मात्रा का लोन भारत सरकार मंजूर करे ताकि सरदार सरोवर योजना का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके । धन्यवाद ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have to call Mrs. Urmilaben. *(Interruption)*. I will call four people, all of you. I will call her first.

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल ।

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : ये भी मेडन स्पीच दे रही हैं ?

उपसभापति : उनको इसीलिये पहले बुला लिया ।

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल । (गुजरात) : उपसभापति महोदया, मैं सरदार सरोवर योजना की पुनः आलोचना के लिये जो कमेटी बनायी है, उसके बारे में गुजरात में जो उग्र आवाज उठी है, उसके बारे में बोलना चाहती हूं । सरदार सरोवर योजना अकेली गुजरात की योजना नहीं है । यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन चारों राज्यों के लिये है । लेकिन मैं इसको बहु-राज्य योजना नहीं मानती हूं, यह नेशनल, राष्ट्रीय योजना है । इससे लाभ होगा और अकेले गुजरात को नहीं होगा बल्कि पूरे देश को लाभ होगा । मुझे याद है जब मेरी उम्र बहुत छोटी थी तो उस समय पंजाब में भाखड़ा-नांगल डाम बना था । तो उस समय अपने माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल जी ने बताया था कि यह योजना भारत के लिये यात्राधाम है । हम गुजरात से स्पेशल ट्रेन लेकर, ऐसी बड़ी बड़ी योजना जो बनायी गई थी, जो यात्राधाम बनाये गये थे, उनको देखने के लिये गये थे । कभी किसी ने नहीं सोचा कि यह पंजाब की योजना है । इसी तरह सरदार सरोवर योजना एक राष्ट्रीय योजना है । इससे जो फायदा होगा, जो उत्पादन होगा, खेतों की पैदावार में बढ़ावा होगा, जो औद्योगिक विकास होगा, जो व्यापार बढ़ेगा, उसका फायदा पूरे देश को होने वाला है । इस तरह से इसको देखा जाना चाहिये । ऐसी बड़ी योजनाएं बनाना कोई हमारे देश में नयी बात नहीं है फिर भी दुनिया में कई देशों ने ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं हुई हैं तभी दुनिया के सब राष्ट्र आगे आ सके हैं । खुद अमरीका ने भी हूवर डैम बनाया था । यह भी ऐसी एक बड़ी योजना थी । तो बड़ी योजना होने से उसका विरोध करना, यह ठीक नहीं है । गुजरात के लिए और भी महत्व की बात यह है कि यह योजना हमें पीने का शुद्ध पानी देने वाली योजना है । आप सब मेम्बरान जानते है कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसके बारे में बाहर यह इम्प्रेशन है कि बहुत समृध्द प्रदेश है लेकिन हकीकत में यह पिछड़ा हुआ प्रदेश है । यहां 10 साल में 8 साल अकाल रहता है । दो साल पहले पूरे गुजरात में सतत तीन साल का अकाल रहा । सौराष्ट्र, कच्छ में चार साल का अकाल रहा । वहां पर पीने के पानी की सुविधा देने में 1500 करोड़ रुपये खर्च हो गये । अगर इसी तरह से अकाल पड़ता रहा तो नर्मदा योजना का पूरा खर्च एक अकेले अकाल में ही हो जाता है । अगर प्रोडक्शन लास गिनें तो 6000 करोड़ का नुक्सान तीन साल के अकाल में पूरे गुजरात को हुआ था । मेडम, मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या गुजरात के लोगों

को पीने का पानी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है । यह तो मूलभूत अधिकार है—खाना, पीने के लिए पानी, शुद्ध हवा प्राप्त करना, यह किसी भी नागरिक का मूलभूत अधिकार है । अगर गुजरात के अकालग्रस्त लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, अगर वह ऐसी सुविधा मांगते हैं तो देश से कुछ ज्यादा नहीं मांगते हैं ? यह बात सच है कि ऐसी योजना से हमारे देश के 75 प्रतिशत लोगों को पीने का पानी मिलने वाला है । अभी इसी समय यहां बारिश हुई लेकिन फिर भी सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को टैंकरों से पानी देना पड़ता है । जामनगर जिले में आज भी टैंकरों से पानी देना पड़ता है । जब गर्मी के दिन आते हैं तो कई गांवों में और कई शहरों में ट्रेन से भी पानी भेजना पड़ता है । तो यह हमारी जो पीने के पानी की समस्या है, इसके लिए सरदार सरोवर योजना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास एक ही नदी है जो नर्मदा नदी है जिससे हम पानी ले सकते हैं । जो गंगा-यमुना का प्रदेश है या ब्रह्मपुत्र का प्रदेश है, जहां एक साल में दो-दो बार बाढ़ आती है, उन लोगों को पीने के पानी की समस्या क्या होती है, उसका शायद ख्याल न हो लेकिन हमारे यहां तो ऐसी नदियां ही नहीं हैं ।.हमारे यहां ज्यादातर नदियां तो ऐसी हैं कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, बाढ़ आती है, उसमें पानी चला जाता है । यह सरदार सरोवर योजना ऐसी जगह पर बन रही है कि अगर हम इस पानी का उपयोग नहीं करें तो यह पानी समुद्र में बह जाएगा और जो पानी है वह पीने के योग्य नहीं रहेगा । अगर यह योजना बनाई जाएगी तो हमारे गुजरात की जो पीने के पानी की समस्या है, वह ज्यादातर हल हो जाएगी । दूसरी बात, मैं बताना चाहती हूं कि अगर हम पर्यावरण के हिसाब से देखें तो सरदार सरोवर योजना एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और इसको इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि इसे हम एक माडल के रूप में बता सकते हैं । इसमें डूब में जाने वाली जो जमीन है वह 4,523 हेक्टेयर जमीन है । उसके सामने गुजरात 4,650 हेक्टेयर जमीन में कम्पेनसेटेड फारेस्ट बना रहा है । इस संबंध में जो सोशल फारेस्टेशन हो रहा है, जो कैचमेंट एरिया में फारेस्टेशन हो रहा है, जो नहर आने वाली है वहां जो होने वाला है, यह सब प्लांटेशन अगर गिनें तो एक डूबने वाले वृक्ष के सामने — ट्रिब्यूनल अवार्ड में तो हमने 40 वृक्ष लगाने का वचन दिया है — लेकिन एक के सामने गुजरात की जनता ने एक सौ वृक्षों का रोपण करना तय किया है । हमारे हर एक गांव में पंचायतों द्वारा स्कूलों द्वारा, वालंटरी एजेंसीज द्वारा गांव-गांव में नर्मदा वन खड़ा करने का सब प्रोग्राम चल रहा है । तो इससे हमारा पर्यावरण सुधरेगा । पानी और वृक्ष पर्यावरण सुधारने के साधन है यह आप सब मेम्बरान जानते हैं ।

वैसे ही दूसरी बात है जो ज्यादातर नर्मदा योजना के विरोधी लोग कह रहे हैं वह विस्थापितों के बारे में है कि विस्थापितों को कैसे रिहैबिलीटेट किया जाएगा । यह माननीय सदस्य अहमद भाई ने बताया है । इसका मैं रिपिटेशन नहीं करती हूं लेकिन मैं जरूर बताउंगी कि एक असरग्रस्त--जिसको इस योजना में विस्थापित होना पड़ता है उसके सामने तीन सौ का रेशियो होता है जो लाभार्थियों में गिने जा सकते हैं । अभी अहमद भाई ने बताया कि अगर हम एक लड़की मेधा पाटकर की लाइफ की चिंता कर रहे हैं कि वह अपना आत्म-विलोपन करेगी तो क्या होगा ? तो गुजरात में दो करोड़ की बस्ती बिना पानी वाली है, इसमें एक करोड़ स्त्रियां हैं, क्या हम एक करोड़ स्त्रियों के बारे में, उनकी जान बचाने के बारे में, उनको पानी की सुविधा देने के बारे में कुछ विचार नहीं करेंगे ? अभी तो ऐसा समय आ रहा है कि पानी का अकाल इतना हो रहा है कि कच्छ और सौराष्ट्र में लोगों को स्थानांतरण करके दक्षिण गुजरात में आना पड़ता है । यह स्थानांतरण की प्रक्रिया भी कोई नयी प्रक्रिया नहीं है । हर गर्मी के दिनों में जो गरीब लोग हैं, जो देहातों में रहते हैं वे स्थानांतरण करके गुजरात में आते हैं, अपने रिश्तेदारों के घरों में रहते हैं । जो लोग पशु-पालन का काम कर रहे हैं वे जो उनके कैटल्स और ढोर हैं उनको लेकर हर गर्मी के दिनों में गुजरात में आते हैं और गर्मी जब पूरी होती है, बारिश की शुरुआत होती है तो सौराष्ट्र और कच्छ में वापस चले जाते हैं । यह स्थानांतरण की प्रक्रिया हर साल की प्राब्लम है । अगर यह योजना होगी तो इसके बारे में गुजरात की प्रजा को बहुत बड़ा लाभ होगा ।

मैं यह भी बताना चाहती हूं जो रिहैबिलीटेशन के काम के बारे में कहते हैं कि कुछ चल नहीं रहा है । मगर अभी तक का जो रिहैबिलीटेशन हुआ है उसके बारे में बताउंगी कि गुजरात में जो 4,500 विस्थापित होने वाले हैं इनमें से 4,100 को पुनर्वास दे दिया गया है । महाराष्ट्र में से जो गुजरात में आने वाले हैं इनमें से 550 का पुनर्वसन हो गया है और मध्य प्रदेश में जो-जो होने वाले हैं इनमें से 1,325 का पुनर्वास किया गया है । यह बताता है कि गुजरात बहुत निष्ठापूर्वक पुनर्वास की जो पालिसी है उसका उपयोग कर रहा है ।

यह बहुत महत्व की बात है कि गुजरात के लोगों के हित को देखा जाए और यह जो कमेटी बनायी गयी है इसको अगर विदड्रा किया जाए तो गुजरात की प्रजा पर इससे बहुत बड़ा अहसान होगा ।

नर्मदा विरोधी जो लोग काम कर रहे हैं वे किसके बल पर काम कर रहे हैं, कहां से उनको मदद मिलती है यह भी देखना चाहिए । उनके पीछे बड़े-बड़े जो समृद्ध देश हैं, विकसित देश हैं, वे हैं । उन लोगों का उन्हें पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, पूरी मदद मिलती है, पूरी सहायता मिलती है, पूरा प्रोत्साहन मिलता है । विदेशों के जो विकसित देश हैं वे नहीं चाहते कि भारत का विकास हो और भारत स्वतंत्र हो, आत्मनिर्भर हो । इसीलिए उनका जो प्रोडक्ट्स है इनको भारत में बचाने का उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है इस वेस्टेड इंटरेस्ट पर कोई असर न हो, भारत में उनका मारकेट बना रहे, इसलिए वे लोग हमारी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं यह बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए । यह बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए । अगर यह नहीं रखेंगे, तो आज सरदार सरोवर योजना का विरोध हुआ, तो कल दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी योजनाओं का विरोध होगा । आज कोई पीने के पानी की योजना का विरोध हुआ, तो कल इंडस्ट्री का

या कोई भी विकास योजना का होगा ।

तो हमें और हमारी यह सरकार को जब हमारे देश के विकास के विरुद्ध जो षडयंत्र चल रहा है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए ।

उपसभापतिजी, आपकी मारफत में अनुरोध करती हूं कि यह जो कमेटी का गठन किया गया है, उसको विड्ड्रा किया जाए और यह योजना जल्द से जल्द पूरी हो, टाईम पूरी हो, इस दिशा में—आपका प्रभाव हमारे सब मेम्बरान भी मानते रहते हैं, तो सद्प्रभाव डाल कर हमें यह योजना निर्धारित समय पर पूरी करने में मदद करें ।

ऐसी इच्छा में आप सब से व्यक्त करती हूं और मैंने थोड़ा ज्यादा समय लिया, फिर भी आपने कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सब की शुक्रगुजार हूं ।

उपसभापति : आपकी और अहमद पटेल की मेडन स्पीच थी, इसलिए ज्यादा समय दिया ।

यह सुविधा आने वाले दूसरे मेम्बरों को उपलब्ध नहीं होगी, चाहे वह सरदार सरोवर पर ही क्यों न बोल रहे हों—यह सुविधा उन्हें नहीं दी जायगी ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : चाहे कालिंग अटेंशन की ... (**व्यवधान**)

[**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम)** पीठासीन हुए ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अहमद जी ने और उर्मिलाबेन जी ने जो बात कही है, मैं उसका समर्थन करता हूं और एक ही मुद्दा उसमें ऐड करना चाहता हूं कि गुजरात असेम्बली में युनेनिमस्ली एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो पांच तारीख को परिपत्र वाटर रिसोर्सेज़ मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया था, वह परिपत्र रद्द किया जाए, विड्ड्रा करने की अब बात ही नहीं रही है । जो गलत परिपत्र जारी किया गया है, वह रद्द किया जाए और उस कमेटी में जो चार-पांच लोग हैं, उसमें तीन लोगों का मत प्रसिद्ध मत है । उन्होंने कई बार पेपर्ज़ में नर्मदा के विरुद्ध अपने मंतव्य भी प्रस्तुत किये हैं ।

इसी वजह से ऐसे लोगों को इस कमेटी में रखने से कमेटी का रिपोर्ट कोई फायदाकारक नहीं होगा ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ट्रिब्यूनल ने जब अवार्ड दिया है और उसमें तय किया गया है कि 45 साल तक कोई रेव्यू नहीं होगा, तो भी गवर्नमेंट ने तीन तारीख का जो परिपत्र इशु किया, उसमें डिस्कशन रखा था । पांच तारीख का जो परिपत्र इशु किया, उसमें रेव्यू डिस्कशन लिखा गया । यह दोनों परिपत्र—पहला परिपत्र तो रद्द हो गया, दूसरा परिपत्र भी रद्द होना चाहिए । ऐसी मेरी गवर्नमेंट से मांग है कि जल्द से जल्द यह परिपत्र रद्द होना चाहिए ।

गुजरात में इससे संबंधित जो पीपल का मत है, वह बहुत उग्र है और सारा देश जानता है । मैं यह बात कहना चाहता हूं कि नव-निर्माण का आंदोलन भी गुजरात से शुरू हुआ था और ऐसा आंदोलन देश में छिड़ न जाए, इसलिए मैं गवर्नमेंट को सचेत करना चाहता हूं कि वहां के लोग नर्मदा के इशु पर अपना जो मत प्रदर्शित कर रहे हैं, उग्र रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं । इसी वजह से यह परिपत्र जल्द से जल्द रद्द किया जाए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है ।

श्री चिमनभाई मेहता (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं सिर्फ एक ही बिंदु पर आपके माध्यम से वाटर रिसोर्सेज़ मिनिस्ट्री का ध्यान आकर्षित करूंगा । गवर्नमेंट ने जो आफिस मैमोरेंडम निकाला है, उसके पहले भी सरकार ने काफी वैसिलेशन बताया है और यह एनविरनमेंटेलिस्ट विदेश में घूमते रहे ।

उसका एक नतीजा तो आ ही गया है कि हमें जो लोन वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला था और जापान से जो लोन हमें मिलने वाला था, छह सौ करोड़ रुपया हमारा जो मुकर्रर किया गया था, वह बंद कर दिया गया है ।

दूसरा जो फ्यूचर प्रॉसपैक्ट लोन का है, उस पर भी आब्स्टैकल खड़ा हो गया । क्योंकि गवर्नमेंट ने आल साइडिड रेव्यू की बात कर दी । अब आल साइडिड रेव्यू तीन महीने में कमेटी करेगी । जिसके बारे में कहा गया था कि 45 ईयर्ज तक नहीं कर सकते और पांचों, सेन्ट्रल गवर्नमेंट और चार राज्यों में से कोई की सम्मति नहीं हो तो रेव्यू नहीं किया जा सकता । उसके बावजूद अगेंस्ट ट्रिब्यूनल्ज़ अवार्ड के अगेंस्ट अगर सरकार रेव्यू करवाती है तो वह खुद एक बहुत बड़ा गलत काम कर रही है । इर-रेसपांसिबल काम कर रही है । तो इसलिए समझना चाहिए कि यह जो काम हुआ है उसके बारे में जो हमारे साथी ने कहा, किसी ने रेव्यू की बात कही और किसी ने कहा कि विड्ड्रा कीजिए, किसी ने स्क्रेप कहा, एक ही बात है कि इनको आप बंद कर दीजिए—इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी मूव किया जा सकता है । Because it is totally against the award. This is the whole problem. और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इरीगेशन रिच पीजेंट्स के लिए है । गुजरात की आधी बस्ती 8000 विलेजेज़ उनको ड्रिंकिंग वाटर देने की बात है । अगर ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने में भी आप रुकावट करते हैं तो उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए । आज तक 1500 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं और जितनी देर होती है, उसकी कास्ट बढ़ती रहती है । यह योजना सिर्फ गुजरात के 4 करोड़ लोगों की नहीं है, 4 राज्य तो डायरेक्टली संबंधित हैं यानी 20 करोड़ की जनता डायरेक्टली इफेक्टेड है और पूरे हिन्दुस्तान को जो फायदा होगा, हमारे साथी अहमद भाई, उर्मिला बेन, दवे जी, सब ने बताया है तो नेशनल स्कीम को पानी की दृष्टि से 8 हजार विलेजेज़ की जो कि आधी बस्ती है गुजरात की, उनको पानी पीने के लिए आपको उसकी सुविधा जल्दी पहुंचाना चाहिए । इसलिए जो पैनल बनाई है रेव्यू के लिए उसको स्क्रेप कीजिए या विड्ड्रा कीजिए । जो कुछ करना है, आप कीजिए । थैंक यू ।